फसल ऋण मोचन योजना (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

अ-किसान

सम्भावित प्रश्न	उत्तर
1.धारित भूमि के आधार पर पात्रता मानदण्ड क्या है?	किसान के स्वामित्व वाली समस्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेअर से अधिक नहीं होना चाहिए।
2.किसानों द्वारा लिये गये ऋणों के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड क्या है?	उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया हो। किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। ऐसा किसान जिसके फसली ऋण की रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्संरचना कर दी गयी हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होगा। सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखो के आधार पर पट्टे पर दी गयी भूमि पर खेती करने के लिए किसान द्वारा लिया गया फसली ऋण।
3.ऋण प्राप्त करने की कट आफ डेट क्या है?	ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो
4.अधिकतम् कितनी धनराशि का ऋण मोचन प्रदान किया जाना है?	राज्य सरकार द्वारा रू0 एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान किया जायेगा।
5.क्या मेरी ऋण मोचन की धनराशि में मूल धनराशि/मूल धनराशि एवं ब्याज सम्मिलित है?	ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च, 2016 के पश्चात् और दिनांक 31 मार्च, 2017 तक) में किसान से प्राप्त प्रतिभुगतान को घटा दिया जायेगा।
6.फसली ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऋण मोचन हेतु कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगे?	आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो), यदि यह उपलब्ध न हो तो किसान द्वारा इसे जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्राप्त किया जाय । जिला स्तरीय समिति ऐसे सभी किसानों की सूची जिन्होंने सूचना पत्र प्राप्त किया है, लेकिन 'आधार विवरण' अंकन हेतु सहमति नहीं दी है, ऐसी सूची पोर्टल से प्राप्त करेगी। जिला

	स्तरीय समिति निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी अर्हता पर निर्णय लेगी। ऐसे अर्ह किसान पूर्व में प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया के अनुसार तृतीय जागरूकता अभियान के अन्तर्गत लगे कैम्प में ऋण-मोचन विवरण पत्र प्राप्त करेंगे।
7. किसानों द्वारा ग्राम एवं ब्लाक स्तर सर्वप्रथम किससे सम्पर्क स्थापित किया जाय?	किसान सर्वप्रथम संबंधित शाखा से सम्पर्क करें जिससे उनके द्वारा ऋण लिया गया है। कोई शिकायत होने पर तहसील/जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं जिनके दूरभाष नम्बर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
8.यदि किसान उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी है, लेकिन उसकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में है, जिसके लिए उसने प्रदेश स्थित बैंक से ऋण प्राप्त किया हो, तो क्या ऐसा किसान योजनान्तर्गत पात्र होगा?	नहीं। ऐसे किसान ऋण मोचन हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. क्या कोई किसान, जिसने विभिन्न बैंकों से रू0 1 लाख से कम फसली ऋण लिया है, योजनान्तर्गत पात्र होगा?	हाँ, यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण-मोचन अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक आनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा।
10. कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों का क्या तात्पर्य है?	कृषि उत्पाद ऋण जिसमें वेयर हाउस रिसीट। गैर-परम्परागत खेती जैसेः ग्रीनहाउस फार्मिंग, हाइब्रिड फार्मिंग मत्स्य पालन हेतु दिये गये सावधि ऋण
11.योजना से अनाच्छादित ऋण कौन-कौन से हैं?	स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह द्वारा प्राप्त किया गया फसली ऋण। किसानों को कम्पनियों या अन्य कारपोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो तथा अन्य संस्थायें जैसे- न्यास, साझीदारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं/अर्बन कोआपरेटिव बैंकों द्वारा दिया गया ऋण। सदस्य किसानों को आगे उधार देने के लिए चीनी मिलों को दिया गया ऋण। किसी भी प्रयोजन के लिए दिया गया सावधि ऋण। मत्स्य या कृषि से संबंधित किसी प्रकार के क्रियाकलाप जिसके लिये ऋण या कैश क्रेडिट प्रदान किया गया है। किसी किसान द्वारा एक ही कृषि भूमि पर, एक ही उद्देश्य के लिए एक से अधिक बैंकों से लिये गये ऋण योजनान्तर्गत मोचन

	हेतु पात्र नही होगे। तथापि यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण-मोचन अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक आनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा। ऐसे प्रकरण जहां किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी खाते से आहरित धनराशि का दुरूपयोग किया गया हो या उसको कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग न किया गया हो लेकिन अन्य किसी आवधिक/आवर्ती जमा खाते में जमा किया गया हो।
12. क्या किसान द्वारा ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऋण मोचित होने के उपरान्त क्या पुनः नये ऋण हेतु पात्र होगा?	हॉं, फसल ऋण हेतु बैंकों के नियमानुसार किसान द्वारा फसल ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
13. ऋण मोचन हेतु क्या आधार कार्ड का होना अनिवार्य है?	नहीं, यह अनिवार्य नहीं है।
14. योजना का लाभ उठाने के लिए मेरे आधार को बैंक खाते से जोड़ा जाना जरूरी है।	नहीं, यह अनिवार्य नहीं है किन्तु किसान के लिए लाभदायक है।
15. नया आधार कार्ड मिलने में कितना समय लगेगा?	आधार कार्ड मिलने की समय सीमा का निर्धारण यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा किया जाता है।
16. किसान को आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु कहां जाना है?	जिला स्तरीय समिति द्वारा यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से आधार कार्ड के लिए सुविधा प्रदान की जायेगी।
17.क्या ऋण से संबंधित सूचना पत्र ऋण मोचन प्रमाण-पत्र के समतुल्य है?	नहीं, प्रथम चरण में प्रदान किया गया सूचना-पत्र ऋण मोचन प्रमाण-पत्र के समतुल्य नहीं है?
18.यदि किसान की भूमि कानूनी विवाद के अन्तर्गत है, तो क्या ऐसा किसान ऋण मोचन हेतु पात्र होगा?	ऐसे मामलों में पात्रता का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त ऐसे किसानों के फसली ऋण पर विचार किया जायेगा और उनकी पात्रता के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
19.योजनान्तर्गत सूचना से संबंधित स्थापित वेब पोर्टल का क्या नाम होगा, और पोर्टल तक किसान की पहुंच कैसे सुनिश्चित होगी?	एन0आई0सी0 द्वारा इस हेतु एक वेब पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in बनाया जायेगा, जिस पर इन्टरनेट ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
20. योजना से संबंधित सूचना प्राप्त करने/ शिकायत दर्ज	किसान सर्वप्रथम संबंधित शाखा से सम्पर्क करें जिससे उनके द्वारा ऋण लिया गया है। कोई शिकायत होने पर तहसील/जनपद

करने के लिए क्या कोई टो-फ्री नम्बर है?	स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं जिनके दूरभाष नम्बर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
21.किसान द्वारा शिकायत को कहां पंजीकृत कराया जाय?	शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत वेब प्रोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in पर किसान द्वारा अपनी शिकायत का पंजीकरण कराया जा सकता है।
22.यदि द्वितीय जागरूकता शिविर में किसान द्वारा आधार कार्ड नहीं प्राप्त किया जा सका तो ऋण मोचन हेतु अन्य क्या विकल्प उपलब्ध हैं?	यदि किसी किसान ने द्वितीय चरण के उपरान्त भी आधार विवरण का अंकन नहीं कराया है तो वह तीसरे चरण में जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा आयोजित जागरूकता ऋण शिविर में ऋण मोचन प्राप्त कर सकता है।
23.ऋण मोचन हेतु पात्र किसानों की सूची में यदि किसी पात्र किसान का नाम सम्मिलित नहीं है, तो वह किसान किससे सम्पर्क करेगा?	किसान द्वारा वेब पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in पर अथवा तहसील/जनपद स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
24.यदि ऋण मोचन के विवरण पत्र में अंकित धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में भिन्नता हो तो किसान को इस संबंध में किसे सम्पर्क करना है?	किसान द्वारा वेब पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in पर अथवा तहसील/जनपद स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
25.यदि ऋण मोचन के विवरण पत्र में अंकित किसान क्रेडिट कार्ड खाता संख्या किसान के वास्तविक किसान क्रेडिट कार्ड खाता संख्या से भिन्न है, तो किसान को इस संबंध में किसे सम्पर्क करना है?	किसान द्वारा वेब पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in पर अथवा तहसील/जनपद स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
26.यदि भूलेख में अंकित लैण्ड रिकार्ड किसान के लैण्ड रिकार्ड से भिन्न है, तो उसे सही कराने हेतु किसान को किससे सम्पर्क करना होगा?	किसान द्वारा वेब पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdcgov.in पर अथवा तहसील/जनपद स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
27.क्या इस चरण में एन0पी0ए0 लोन से संबंधित मोचन पर विचार होगा?	जी नहीं, बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।
28. ऋण मोचन योजनान्तर्गत किन ऋण दायी संस्थाओं द्वारा	प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं (जिनमें उनकी उत्तर प्रदेश में शाखाएं सम्मिलित है)-

प्रदत्त ऋण आवृत्त होगा?	• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक • सहकारी बैंक (अर्बन कोआपरेटिव बैंक को छोड़कर)
29.यदि किसान द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को ऋण लिया गया है तो क्या वह ऋण मोचन योजनान्तर्गत पात्र होगा?	जी नहीं।
30.यदि किसी किसान द्वारा धारित भूमि 2.10 हेक्टेअर है तो क्या वह योजनान्तर्गत पात्र होगा?	जी नहीं।
31.यदि बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक लिये गये ऋण पर ब्याज भी सम्मिलित किया गया है एवं कुल बकाया राशि रू0 1 लाख से कम है, तो क्या सम्पूर्ण धनराशि ऋण मोचन हेतु अर्ह होगी?	जी नहीं, ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च, 2016 के पश्चात् और दिनांक 31 मार्च, 2017 तक) में किसान से प्राप्त प्रतिभुगतान को घटा दिया जायेगा।
32. यदि किसी किसान द्वारा लिया गया फसली ऋण कारपोरेट संस्था द्वारा प्रत्याभूत है, तो क्या ऐसा ऋण, ऋण मोचन योजनान्तर्गत अर्ह है?	अनर्ह है।
33. ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ऐसे फसली ऋण, जिन्हें गैर निष्पादित आस्तियां घोषित किया गया है, क्या इस योजनान्तर्गत पात्र हैं?	जी नहीं, बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।
34. ऋण मोचन हेतु अर्ह रू0 1 लाख तक राशि में क्या वसूली प्रभार भी सम्मिलित होंगे?	बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।
35. क्या किसानों के लिए गैर निष्पादित आस्तियों से संबंधित कोई अन्य योजना लायी जायेगी?	हाँ, बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।

36. ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ऐसे फसली ऋण, जिन्हें गैर निष्पादित आस्तियां घोषित किया गया है, हेतु अर्हता मानदण्ड क्या होंगे?	बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।
37. ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ऐसे फसली ऋण, जिन्हें गैर निष्पादित आस्तियां घोषित किया गया है, हेतु कट आफ डेट क्या होगी?	बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।
38. ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ऐसे फसली ऋण, जिन्हें गैर निष्पादित आस्तियां घोषित किया गया है, के ऋण मोचन हेतु अधिकतम अर्ह धनराशि की सीमा कितनी होगी?	बैंकों से वार्ता के उपरान्त एन0पी0ए0 ऋण के मोचन हेतु एक अलग योजना लायी जायेगी।

ब-जिला स्तरीय समिति

सम्भावित प्रश्न	उत्तर
1.क्या जिला स्तरीय समिति अर्ह किसानों की सूची निर्धारण हेतु निर्णायक प्राधिकारी होगी?	हां, अर्ह किसानों की सूची जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। कृषि विभाग से किसानों के फसल-ऋण सम्बन्धी डाटा प्राप्त होने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु विचार-विमर्श करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा किसानों की निर्णीत अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह-सचिव को हस्तान्तरित किया जायेगा। समिति का सह-सचिव डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान आदेश संबंधित ऋण प्रदाता संस्था को निर्गत करेगा।
2.जागरूकता शिविरों के आयोजन हेतु आवश्यक बजट किस विभाग द्वारा दिया जायेगा?	योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रचार-प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटर, यात्रा व्यय एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय किये जाने होंगे। इन विभिन्न मदों में होने वाले व्यय के संबंध में आवश्यक प्रावधान कृषि विभाग के विभागीय अनुदान में बजट व्यवस्था के माध्यम से किये जायेंगे। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिले में आयोजित किये जाने वाले समस्त जागरूकता अभियानों में कैम्प के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था से संबंधित आवश्यक धनराशि एवं उसके व्यय के संबंध में कृ़ि विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
3.जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है?	योजना समुचित समय सीमा में पूर्ण होने की सम्भावना है।
4. बैंकों द्वारा दी गयी पूर्व सूची में छूटे हुए किसानों से संबंधित डाटा देने हेतु क्या बैंकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है?	नहीं। यह कार्य समुचित समय सीमा में पूर्ण होने की सम्भावना है।
5.ऋण मोचन धनराशि के निर्धारण हेतु कौन संस्था उत्तरदायी होगी?	ऋण प्रदाता संस्थायें योजना के अन्तर्गत अर्ह किसानों एवं उनके चिन्हित ऋण खातों में जमा धनराशि की सत्यता के संबंध में जिला स्तरीय समिति को वैधानिक

	लेखा परीक्षक द्वारा सम्परीक्षित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगी।
6.कृषि विभाग द्वारा प्रेषित पात्र किसानों की सूची की सत्यता निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति किस स्रोत का प्रयोग करेगी?	कृषि विभाग से किसानों के फसल-ऋण सम्बन्धी डाटा प्राप्त होने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु विचार-विमर्श करेगी। इसके लिए जिला स्तरीय समिति भू-लेख एवं बैंकों से प्राप्त आंकड़ों की सहायता लेगी।
7.क्या मण्डल स्तरीय समिति द्वारा अर्ह किसानों के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय को बदला जा सकता है?	हॉं। मण्डल स्तरीय समिति द्वारा योजना के प्रावधानों एवं शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्णय दिया जायेगा।
8. योजना के सम्प्रेक्षण हेतु कौन विभाग उत्तरदायी होग?	कृषि विभाग इस योजना की समुचित सम्परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
9. जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए समय सीमा क्या होगी?	इस हेतु किसी विशे-ा समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। जागरूकता अभियान कके अन्तर्गत तीन चरणों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय समिति द्वारा ऐसे किसान जिनके द्वारा विभिन्न फसलों हेतु, एक से अधिक बैंकों से विभिन्न कृषि भूमियों को बन्धक कर ऋण लिया गया है, का सत्यापन कैसे किया जायेगा?	किसानों द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष लिये गये ऋण संबंधी आंकड़ों हेतु जिला स्तरीय समिति संबंधित ऋण दात्री संस्था पर निर्भर रहेगी।